सुरजीत सिंह

बनाम

नाहरा राम व अन्य

5 अगस्तए 2004

(न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत और सी.के. ठक्कर)

आपराधिक कानून-उचित सजा- निर्णय-सामान्य सिद्धान्त

प्रतिपादित: प्रत्येक प्रकार के आपराधिक आचरण की दोषीता के अनुसार अनुपातिकता के सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिए-प्रत्येक मामले में सजा देने में न्यायाधीश को कुछ महत्वपूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है, लेकिन अपर्याप्त सजा देने की अनुचित सहानुभूति न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए, न्यायालय को अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से अपराध किया गया उसे ध्यान में रखते हुए उचित सजा देनी चाहिए। तथ्यों पर, उच्च न्यायालय द्वारा सजा की अवधि को कम करना उचित नहीं है, बढ़ा हुआ जुर्माना अदा किया गया। सजा की अवधि को घटाकर 18 महीने कर दिया गया, जुर्माने में से अपीलार्थी को 10,000 रूपये अदा करने के निर्देश जारी किये गए। दंड संहिता, 1860-धारा 306-आयुध अधिनियम 1959 धारा 27।

अभियुक्त पर आरोप है कि उसने अपीलार्थी पर कई फायर किये जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी घायल हो गया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहतदोषी ठहराया और उसे पांच साल के कठोर कारावास व 2,000 रूपये के अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी में एक वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया। अपील में, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन सजा को घटाकर भुगती गई सजा में तब्दिल करते हुए अर्थदण्ड को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। इसलिए उक्त अपील की गई।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उसे लगी चोटों की प्रकृति को देखते हुए, उच्च न्यायालय को सजा में हस्तक्षेप करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने सजा की अवधि को भुगती गई सजा में तब्दिल करने का कोई कारण नहीं बताया है।

अपीले स्वीकार हैं। अभिनिर्धारित किया गया:-

1.1. आपराधिक कानून सामान्यतः दोषी के अनुसार दायित्व निर्धारित करने में आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करता है। आम तौर पर न्यायाधीश को प्रत्येक मामले में सजा पर पहुंचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवेकाधिकार की अनुमति देता है, संभवतः ऐसे वाक्यों की अनुमति देने के लिए जो प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों द्वारा उठाये गए

दोषिता के अधिक सूक्ष्म विचारों को प्रतिबिम्बित करते हैं। न्यायाधीश संक्षेप में इस बात की पुष्टि करते हैं कि सजा हमेंशा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए फिर भी, व्यवहार में सजाएं मुख्य रूप से अन्य विचारों द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे अपराधी की सुधारात्मक आवश्यकताएँ उसे प्रचलन से बाहर रखने की वांछनीयताए उसके अपराध के दुखद परिणाम जो अनिवार्य रूप से सजा के आधार के रूप में उचित रेगिस्तान से प्रस्थान का कारण बनते हैं और स्पष्ट अन्याय के मामलों का निर्माण करते हैं, जो गंभीर और व्यापक है। अपर्याप्त सजा देने की अनुचित सहानुभूति न्याय प्रणाली को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी, जिससे कानून की प्रभावकारिता में जनता के विश्वास को कमजोर करेगी और समाज ऐसे गंभीर खतरों के तहत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए प्रत्येक अदालत का यह कर्त्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से यह किया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे। (359.डी.ई 359.एफ.एच)

1.2. वर्तमान मामले में तथ्यों और कानून के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा सजा की अवधि को कम करना उचित नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा बढ़े हुए जुर्माने का भुगतान किये जाने के मध्येनजर की सजा की अवधि अठारह महिने तय की गई व अपीलार्थी को 10,000 रूपये का भुगतान किया जाएगा। ¿ 360- बी.सीÀ

एम.पी.राज्य बनाम घनश्याम सिंह, (2003, 8 एस.सी.सी. 13), संदर्भित। फ्राइडमैन द्वारा बदलते समाज में कानून का उल्लेख किया गया।

आपराधिक अपील न्यायक्षेत्रः आपराधिक अपील संख्या 799-800/2004

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की क्रिमिनल अपील संख्या 81-एस.बी./1992 के निर्णय व आदेश दिनांक 13.01.2003 से।

अमर विवेक, जसबिर सिंह मलिक और सुश्री कामाक्षी और एस. महलवाल वास्ते अपीलार्थी ।

अजय बंसल, एडिशनल एडवोकेट जनरल। सी.एल.साहू, अमित यादव व बिमल रॉय जद वास्ते रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय द्वारा न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत अनुमति दी गई।

वर्तमान अपीलें परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध है। अपीलार्थी द्वारा यह आरोप लगाते हुए बताया कि जब वह अपने खेत में अपनी धान की फसल पर छिड़काव कर रहा था, तो आरोपी ने कई फायर किए जिसके परिणामस्वरूप उसे सामान्य व गंभीर चोटें आईं।

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बरनाला ने आरोपी को. भा. द.स. की धारा 326 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत

दंडनीय अपराध का दोषी पाया। उसे पाँच साल के कठोर कारावास व 2,000 रूपये के अर्थदण्ड से एवं भा.द.स. की धारा 326 से संबंधित अपराध के लिए डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ दण्डित किया। उसे आयुध अधिनियम के तहत अपराध के संबंध में एक साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई ।

अभियुक्त द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में मामला उठाया गया था। अपीलार्थी ने इसके तहत एक आपराधिक संशोधन द.प्र.संहिता 1973 की धारा 401 के साथ सपठित धारा 397 द.प.स भी दायर की। अपील को सीआरएल के रूप में रजिस्टर किया गया। 1992 का ए. एन. 81 एस.बी. और आपराधिक संशोधन को सी. आर.एल. 1992 का क्रिमिनल रिवीजन 580 के रूप में रजिस्टर किया गया। अपील और पुनरीक्षण दोनों का निपटारा एक निर्णय द्वारा किया गया है जो वर्तमान अपीलों में आक्षेपित है। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा को भुगती अवधि तक तक कम कर दिया एवं जुर्माने को बढ़ाकर रूपये 25,000 कर दिया गया।

अपीलों के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि लगी चोटों की प्रकृति को देखते हुए, उच्च न्यायालय को सजा में हस्तक्षेप करना चाहिए था, विशेष रूप से जब आरोपी ने केवल 63 दिनों की हिरासत की सजा काट ली थी। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने

हिरासत की सजा में कमी को उचित ठहराने के लिए कोई कारण नहीं बताया है।

जवाब में, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने हिरासत की सजा को कम करने के लिए पर्याप्त आधार पाये हैं। अदालत के अनुसार अभियुक्त की आयु लगभग 60 वर्ष थी और चूंकि अभियुक्त और परिवादी एक ही गांव के हैं इसलिए गांव में शान्ति बनी रहेगी। यदि उसे फिर से जेल भेजा जावेगा तो परिवारों में दुश्मनी और बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। आपराधिक कानून न्याय प्रणाली का उद्देश्य केवल समाज में अनुशासन, शांति और सद्भाव लाना नहीं है, लेकिन गलती करने वाले व्यक्ति को खुद को सुधारने का अवसर भी देता है। 25,000 रूपये का जुर्माना पहले ही जमा किया जा चुका है।

कानून सामाजिक हितों को नियंत्रित करता है, परस्पर विरोधी दावों और मांगों पर मध्यस्थता करता है। व्यक्तियों और लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। इसे आपराधिक कानून के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। निस्संदेह, यह अंतर सांस्कृतिक संघर्ष है जहां जीवित कानून को नई चुनौतियों का जवाब ढूंढना चाहिए और अदालतों को चुनौतियों का सामना करने के लिए सजा देने की प्रणाली को ढालने की आवश्यकता है। अराजकता का संक्रमण सामाजिक व्यवस्था को कमजोर कर देगा और उसे खंडहर बना देगा। समाज की सुरक्षा और आपराधिक

प्रवृत्ति पर रोक लगाना कानून का उद्देश्य होना चाहिए जिसे उचित सजा देकर प्राप्त किया जाना चाहिए। इसलिए, कानून व्यवस्था की इमारत के एक कोने के पत्थर के रूप में समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। फ्राइडमैन ने अपने लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी में कहा है कि, आपराधिक कानून की स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी होनी चाहिए। समाज की सामाजिक चेतना का एक निर्णायक प्रतिबिंब है इसलिए, सजा प्रणाली के संचालन में, कानून को सुधारात्मक तंत्र को अपनाना चाहिए तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर सुधारात्मक मशीनरी या निरोध को अपनाना चाहिए। इसलिए, अपर्याप्त सजा देने के लिए अनुचित सहानुभूति, न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान पहुंचाएगी, जिससे कानून की प्रभावकारिता में जनता का विश्वास कम होगा और समाज इस तरह की गंभीर स्थिति में लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए, प्रत्येक न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे निष्पादित या किया गया, आदि को ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे।

आपराधिक कानून सामान्य रूप से प्रत्येक मामले के आपराधिक आचरण की दोषीता के अनुसार दायित्व निर्धारित करने में आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करता है।

यह आम तौर पर प्रत्येक मामले में सजा पर पहुंचने के लिए, न्यायाधीश को कुछ महत्वपूर्ण विवेक की अनुमति देता है। संभवतः उन वाक्यों की अनुमति देने के लिए जो प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों द्वारा उठाए गए दोष के अधिक सूक्ष्म विचारों को दर्शाते हैं। न्यायाधीश संक्षेप में इस बात की पुष्टि करते हैं कि सजा हमेशा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए, फिर भी व्यवहार में सजा का निर्धारण काफी हद तक अन्य विचारों से किया जाता है। कभी-कभी यह अपराधी की सुधारात्मक आवश्यकताएँ होती हैं जो एक वाक्य को उचित ठहराने के लिए पेश किए जाते हैं। कभी-कभी उसे प्रचलन से बाहर रखने की वांछनीयताए और कभी-कभी उसके अपराध के दुखद परिणाम भी, अनिवार्य रूप से ये विचार सजा के आधार के रूप में न्यायपूर्ण रेगिस्तान से प्रस्थान का कारण बनते हैं और स्पष्ट अन्याय के मामले पैदा करते हैं जो गंभीर और व्यापक हैं।

इस अवधारणा को इस न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बनाम धनश्याम सिंह (2003, 8 एससीसी13) में भी प्रतिपादित किया गया था।

जब विचारण न्यायालय द्वारा उल्लिखित तथ्यात्मक परिदृश्य और ऊपर उल्लिखित कानून के सिद्धांतों को अपरिहार्य निष्कर्ष माना जाता है। यह है कि उच्च न्यायालय हिरासत की सजा को कम करने में उचित नहीं था।

उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए बढ़े हुए जुर्माने को ध्यान में रखते हुए जिनका भुगतान किया गया है, उन्हें ठीक करना उचित होगा। शेष सजा काटने के लिए आरोपी तुरन्त ही आत्मसमर्पण करे। जुर्माने की राशि में से जमा किये गए 10,000 रूपये अपीलार्थी को भुगतान किया जाए।

अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नरेन्द्र सिंह मालावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।